MR. SPEAKER: I do not know. I have told him everything. He is in the know of everything. Not the Home Minister; but the Minister of State for Home Affairs.

(*Interruptions*)

श्री रामनाथ शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं आप का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि इस सदन ने फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन के बारे में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने सरटेन रिकमेंडेशन्स दी थीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप 377 दे दीजिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : उस कमेटी ने सरटेन रिकमेंडेन्स दी हैं लेकिन उनको अभी माना नहीं गया है । . . (**व्यवधान**)

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने अखबारों में बयान दिया है कि हम अभी गल्ले के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं . .

अध्यक्ष महोदय : मोशन दीजिए । आप बैठिये ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं ने कालिंग एटेंशन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा । आप मुझे दे दीजिए । . . (**व्यवधान**) . .

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरे साथियों ने जो आबजेक्शन किया था वह यह नहीं कि आप कालिंग एटेंशन एलाऊ नहीं करते । उन का कहना है कि गवर्नमेंट यहां के सेंटीमेंट्स के हिसाब से काम नहीं करती और आप की डाइरेक्शन्स नहीं मानती । इसलिए कालिंग एटेंशन इममेटीरियल होते जा रहे हैं ।

آپ : (سہارنپور) شری رشید مسعود

میری بات سن لیجئے - میرے ساتھیوں نے جو آبجیکشن کیا تھا وہ یہ ہیں کہ آپ کالنگ اٹینشن الو نہیں کرتے - ان کا کہنا ہے کہ گورنمینٹ یہاں کے سینٹی مینٹس کے حساب سے کام نہیں کرتی اور آپ کی ڈائریکشنس نہیں مانتی - اس لئے کالنگ اٹینشن امیٹیریل ہوتے جا رہے ہیں -

MR. SPEAKER: That we shall see. You can bring it out in the discussion.

(Interruptions)

जब आप का दबदबा होगा, तो वे कुछ नहीं कर सकेंगे ।

श्री जगपाल सिंह : मेरा हम्बिल सबमिशन यह है कि हमने इस हाऊस के सामने एक कम्पनी की दवाई रखी और उस कम्पनी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए ।

श्री जगपाल सिंह : आप देख लीजिए । ये पार्लियामेंट हाऊस डिस्पेंसरी के केपसूल हैं ।

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North East): I gave notice of a Calling Attention. . . .

MR. SPEAKER: You come to me in my chamber. It is under my consideration. Don't you worry.

SHRI ANANTHA RAMULU (Nagarkurnool): I have given notice for a separate discussion on atrocities committed against Harijans. . . . (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: I will see. Shri V.N. Gadgil.

LICENSING OF WIRELESS RECEIVING APPARATUS (AMENDMENT) RULES, 1982.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI V. N. GADGIL): I beg to lay on the Table a copy of the Licensing of Wireless Receiving Apparatus (Amendment) Rules, 1982 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 837 in Gazette of India dated the 2nd October, 1982 under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [*Placed in Library. See* No. LT-5928/83].